ORIGINAL RESEARCH PAPER

History

KEY WORDS:

भारतीय समाज में न्याय एवम् दलितोत्थान : डॉ. अम्बेडकर का योगदान

प्रमीला यादव शोधार्थी, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

वर्तमान युग में एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान अतुल्नीय है। डॉ. अम्बेडकर एक अध्यवसायी, लेखक प्रखर वक्ता, समाज–वैज्ञानिक, संविधान–विज्ञ, शिक्षाशास्त्री, समाजसुधारक, राजनीतिज्ञ होने के साथ–साथ सामाजिक न्याय पर आधारित आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी उनका नाम स्मरणीय है। डॉ. अम्बेडकर का महत्वपूर्ण लक्ष्य था न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। वे स्वयं एक निम्न जाति 'महार' में पैदा हुए थे, शायद यही वजह थी कि उन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता जाति व्यवस्था, शुद्रों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार को बड़ी बारीकी से देखा व इनको यह सोचने पर मजबूर करना कि ऐसा क्यों है इसी सामाजिक असमानता के लिए उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया व अपने इस सामाजिक संघर्ष में वो सफल भी हुए जिसका परिणाम आज वर्तमान में हमारे सामने है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार नारी, शुद्र व दलित सहित भारत का अधिकांश भाग सामाजिक अन्याय का शिकार था। ये समाज के वे वर्ग थे जो सामाजिक व नागरिक अधिकारों से तो वंचित थे ही साथ में विभिन्न प्रकार की निर्योग्यताओं के भी शिकार थे। उनका मानना था कि प्राचीन समय में प्रचलित आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, बाहरी तौर पर ही आर्कषक प्रतीत होती है। आन्तरिक रूप से देखें तो इसमें कई दोष थे जैसे आश्रम व्यवस्था में स्त्रियों व शुद्रों को तो ब्रह्मचर्य से वंचित ही कर दिया गया था साथ ही वानप्रस्थ अवस्था में स्त्रियों के लिए उचित विधान नहीं था जीवनभर पति को परमेश्वर मानकर साथ निभाने के बाद वृद्धावस्था में उसे पुत्रों व परिवारजनों के सहारे छोड़कर मोक्ष की तलाश में घर परित्याग करना अंबेडकर की दृष्टि में पलायनवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सामाजिक सोपान में जैसे–जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते है रियायतें घटती जाती है और शुद्रों तक पहुंचते–पहुंचते ये नियम बहुत ही कठोर हो जाते है। शुद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है उनके पास तीनों वर्णों की सेवा करने के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं था व अन्त्यकों की स्थिति दास से बतदर हो गयी थी।

डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक क्षेत्र आदि में निम्न वर्ग की स्थिति को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण शर्त है स्वतंत्रता का होना अर्थात् समाज, राज्य, व्यक्ति या वर्ग में किसी तरह का भेद ना हो। इसके लिए आवश्यक है सामाजिक समानता व आर्थिक सुरक्षा। प्राचीन समय में जहां शुद्रों की कोई संपत्ति नहीं होती थी उनकी संपत्ति में उनके मालिक का हक होता था इसलिए समाज में असमानता थी अगर शुद्रों के पास स्वयं की संपति होगी तभी उनकी स्थिति में सुधार होगा व समाज में समानता की स्थिति आयेगी।

इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के प्रति भीमराव अम्बेडकर का विद्रोह अनेक रूपों में प्रस्फुटित हुआ है। पत्रकारिता के क्षेत्र में 'मूल नायक', 'बहिष्कृत भारत' में उनके द्वारा लिखे गये लेख द्वारा सदियों से अन्याय व भेदभाव को संरक्षण देती रही हमारे सामाजिक ढांचे के प्रति असहमति व विरोध प्रकट किया। इसके साथ ही उन्होंने परम्परागत हिन्दु व्यवस्था, मार्गदर्शन, चिन्तन जहां भी उन्हें खामी नजर आयी वों प्रहार करने से नहीं चूकें।

अंबेडकर का मानना था कि खोये हुए अधिकार याचना से नहीं मिलते उसके लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने दलितो को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। मिसाल के तौर पर दलितों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी लेने के लिए मनाही थीं इसके विरूद्ध सन् 1927 में अंबेडकर ने महाद के यवदार ताल से दलितों को पानी लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया जिसमें अम्बेडकर की जीत हुई।

सार्वजनिक हिन्दु मन्दिरों में अस्पृश्यों को प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से अंबेडकर ने दलितों के विभिन्न आन्दोलनों का नेतृत्व किया इन आन्दोलनों में अमरावती में अम्बा देवी मन्दिर प्रवेश (1927), बम्बई में गणपति प्रांगण प्रवेश (1929) तथा नासिक में कालाराम मंदिर (1930) प्रमुख है।

दलितों को सामाजिक व राजनैतिक अधिकार प्राप्त कराने के उद्देश्य से ब्रिटिश शासनकाल से ही डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्न मंचों पर दलितों के पक्ष को प्रस्तुत किया। डॉ. अम्बेडकर के प्रयासों से ही ''पूना पैक्ट'' (1932) के द्वारा दलितों को विधानमण्डल में तुलनात्मक रूप से अधिक स्थान आरक्षित किये जाने तथा उन्हें सुविधाएँ प्रदान किये जाने की बात स्वीकार की गयी। ''पूना पैक्ट'' वस्तुतः एक संघर्षशील योद्वा की अप्रतिम सूझ–बूझ और दूर–दृष्टि का परिचायक है जो आगे चलकर राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता व सामाजिक न्याय के लिए दलितों द्वारा किये गये संघर्ष के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। अंबेडकर ने सभी दलितों को एक मंच पर एकत्रित कर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष के लिए एक जुट करने के उद्देश्य से 'आल इण्डिया शिड्यूल्ड कास्ट्स फैडरेशन' की स्थापना की।

अम्बेडकर भलीभांति जानते थे कि गरीब व अशिक्षित होने के कारण पूंजीवादी व्यवस्था में दलितों की आर्थिक उन्नति संभव नहीं है। उनका मानना था कि सामाजिक व आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति और उनका सार्थक उपयोग दलितों के लिए तब तक संभव नहीं है जब तक उनको शासन में भागीदारी नहीं मिलती इस हेतु उन्होंने 'इण्डिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी' (1936) का गठन किया। उनकी पहल पर आगे चलकर दलित विशेष रूप से उनके अनुयाइयों ने 'रिपब्लिकन पार्टी' के झण्डे तलें अपना राजनैतिक मोर्चा संभाला।

संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष मनोनीत होने के साथ स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आ गया। अब वे केवल कमजोर एवं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के प्रवक्ता ही नहीं रहे अपितु सभी वर्गों के प्रतिनिधि थे। अपने इस दायित्व को वे भली–भाँति समझते थे और इसे बखूबी निभाया भी। भारतीय संविधान जहां महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों को न्याय प्रदान करता है वहीं इस बात का भी प्रावधान करता है कि कोई भी वर्ग या व्यक्ति चाहे वह कितना ही सबल क्यों न हों संवैधानिक दायरे के अन्तर्गत कानूनी प्रक्रिया को अपनाये बिना किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी निर्बल क्यों न हो, को उसके न्यायपूर्ण अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करके डॉ. अम्बेडकर ने लोगों को न्याय की प्रत्याभूति प्रदान करने व समाज में न्याय को प्रभावी बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति–व्यवस्था, अन्याय, भेदभाव को दूर कर भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना में अंबेडकर का अवदान मौलिक और महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, आर.जी. ''भारतीय दलितों की समस्याऐं एवं उनका समाधान'' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1986
2. भारती ''अस्पृश्यता निवारण में गांधी व अंबेडकर की भूमिका'',1993
3. सिंह, डॉ. रामगोपाल ''सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष '' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2010
4. सिंह, आर.जी. ''डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक विचार,'' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, मध्यप्रदेश, 1991
5. सिंह, आर.जी. ''डॉ. अम्बेडकर: समाज वैज्ञानिक,'' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, मध्यप्रदेश, 1992